



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-273991  
CG-DL-E-02072026-273991

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 484]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सा.का.नि. 542(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 151(अ), तारीख 27 फरवरी, 2026 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 365(अ), दिनांक 3 जून, 2025 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनका प्रभावित होना संभाव्य है, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उस दिनांक जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध कराई गई थीं, से तीस दिवस की अवधि के भीतर प्रकाशित की गई थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 28 फरवरी, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2026 है

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 115क में—

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:—

"115क. आंतरिक दहन इंजन द्वारा संचालित कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलरों, निर्माण उपस्करयानों और संयुक्त हार्वेस्टरों से धुएं तथा वाष्प का उत्सर्जन।"

3. उक्त नियमों के नियम 115 में,-

(ii) उपनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(9) प्रत्येक कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और संयुक्त हार्वेस्टर का विनिर्माण इस प्रकार किया जाएगा कि वह निम्नलिखित परीक्षण चक्रों पर परीक्षण किए जाने पर उनसे उत्सर्जित गैसीय प्रदूषकों के निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करे, अर्थात्:—

(क) परिवर्ती-गति इंजनों के लिए, 8-मोड परीक्षण चक्र अथवा उसके समतुल्य रैम्पड मोडल परीक्षण चक्र और, जहां लागू हो, गैर-सड़क क्षणिक परीक्षण चक्र (एनआरटीसी);

(ख) स्थिर-गति इंजनों के लिए, 5-मोड परीक्षण चक्र अथवा उसके समतुल्य रैम्पड मोडल परीक्षण चक्र;

(ग) गैर-सड़क स्थिर परीक्षण चक्र (एनआरएससी) और गैर-सड़क क्षणिक परीक्षण चक्र (एनआरटीसी) के लिए लागू उत्सर्जन सीमाओं के अनुसार उत्सर्जन (ग्राम/किलोवाट-घंटा) का मापन, सारणी 1, सारणी 2 तथा सारणी 2क में वर्णित परीक्षण प्रयोज्यता के अनुसार किया जाएगा; तथा एनआरटीसी परीक्षण चक्र के लिए समग्र भारित उत्सर्जन की गणना इस प्रकार की जाएगी कि कोल्ड स्टार्ट के परिणामों को 10 प्रतिशत और हॉट स्टार्ट के परिणामों को 90 प्रतिशत भार प्रदान किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त भारित समग्र परिणाम उक्त सारणियों में विनिर्दिष्ट सीमाओं का अनुपालन करेंगे।

### सारणी 1

(टीआरईएम चरण-4)

गैर-सड़क स्थिर परीक्षण चक्र (एनआरएससी) और गैर-सड़क क्षणिक परीक्षण चक्र (एनआरटीसी) के लिए लागू उत्सर्जन सीमाएं

	से लागू	सीओ (1)	एचसी (1)	एनओएक्स	पीएम (1)	परीक्षण चक्र*
श्रेणी, किलोवाट		ग्राम/किलोवाटघंटा				
37 ≤ पी < 56	01-01-2023	5.0	4.7 (एचसी+एनओएक्स)		0.025 (2)	एनआरएससी और एनआरटीसी
56 ≤ पी < 130		5.0	0.19	0.4	0.025	
130 ≤ पी < 560		3.5	0.19	0.4	0.025	

\* संपीडन प्रज्वलन (सीआई) इंजन से युक्त यान के मामले में, गैसीय और कणीय उत्सर्जनों का मापन एनआरएससी/एनआरटीसी परीक्षण चक्र के अनुसार किया जाएगा। सकारात्मक प्रज्वलन (पीआई) इंजन से युक्त यान के मामले में, गैसीय और कणीय उत्सर्जनों का मापन एआईएस-137 (भाग-7) में वर्णित तथा समय-समय पर यथा संशोधित एनआरटीसी परीक्षण चक्र के अनुसार किया जाएगा।

(1) हाइड्रोजन ईंधन से संचालित इंजनों पर यह लागू नहीं होगा। जिन इंजनों के लिए एचसी+एनओएक्स की सीमा निर्धारित है, उन मामलों में यह सीमा केवल एनओएक्स उत्सर्जन पर लागू होगी।

(2) केवल संपीडन प्रज्वलन (सीआई) इंजनों पर लागू।

### सारणी-2

(टीआरईएमचरण-3कक/4/5)

गैर-सड़क स्थिर चक्र (एनआरएससी) और गैर-सड़क क्षणिक चक्र (एनआरटीसी) परीक्षण, यदि लागू हो चक्रों के लिए लागू उत्सर्जन सीमा।

	से लागू	ट्रेम	सीओ (1)	एचसी (1) (4)	एनओएक्स	बजे	पीएन	परीक्षण चक्र *
श्रेणी, किलोवाट			ग्राम/किलोवाटघंटा				#/किलोवाटघंटा	
पी < 8	01-10-2026	ट्रेम बी	8.0	7.5 (+एनओएक्स)		0.4	--	एनआरएससी या एनआरटीसी (3)
8 ≤ पी < 19	01-10-2026	ट्रेम बी	6.6	7.5 (+एनओएक्स)		0.4	--	
19 ≤ पी < 37	01-04-2010	ट्रेम IIIए**	5.0	7.5 (+एनओएक्स)		0.6	--	एनआरएससी या एनआरटीसी (3)
19 ≤ पी < 37	01-04-2028	ट्रेम IIIएए	5.0	4.7(+एनओएक्स)		0.35 (2)	--	एनआरएससी या एनआरटीसी (3)
37 ≤ पी < 56	01-01-2023	ट्रेम IV	5.0	4.7 (+एनओएक्स)		0.025 (2)	--	एनआरएससी और एनआरटीसी
56 ≤ पी < 130	01-10-2026	ट्रेम बी	5.0	0.19	0.4	0.015	1×10 <sup>12</sup>	
130 ≤ पी < 560	01-10-2026	ट्रेम बी	3.5	0.19	0.4	0.015	1×10 <sup>12</sup>	
पी ≥ 560	01-10-2026	ट्रेम बी	3.5	0.19	3.5	0.045	-----	एनआरएससी

\*संपीडन प्रज्वलन (सीआई) इंजन से सुसज्जित यान के मामले में, गैसीय तथा कणिकीय उत्सर्जन का मापन एनआरएससी और एनआरटीसी परीक्षण चक्रों पर किया जाएगा। धनात्मक प्रज्वलन (पीआई) इंजन से सुसज्जित यान के मामले में, गैसीय तथा कणिकीय उत्सर्जन का मापन एआईएस-137 भाग-7 में वर्णित और समय-समय पर यथासंशोधित एनआरटीसी परीक्षण चक्र के अनुसार किया जाएगा।

\*\* पी आई इंजनों के लिए एनआरटीसी परीक्षण चक्र तथा उत्सर्जन की गणना एआईएस-137 भाग-7 के अनुसार लागू होगी। टीआरईएम-3कसे संबंधित अन्य सभी आवश्यकता एंटीएपी-115/116 भाग-15उप-भाग-कमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लागू होंगी।

(1) हाइड्रोजन ईंधन चालित इंजनों पर लागू नहीं होगा। जिन इंजनों के लिए एचसी+एन ओएक्स की सीमा निर्धारित है, उन हाइड्रोजन आंतरिक दहन (आईसी) इंजनों के लिए केवल एनओएक्स उत्सर्जन की सीमा लागू होगी।

(2) केवल संपीडन प्रज्वलन (सीआई) इंजनों पर लागू होगा।

(3) एनआरएससी (आईएसओ -8178 सी1 मोड) केवल सीआई इंजनों पर लागू होगा और एनआरटीसी केवल पीआई इंजनों पर लागू होगा।

(4) पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से गैसीय ईंधन से चालित इंजनों के लिए कुल हाइड्रोकार्बन (एचसी) सीमा संबंधी विशेष उपबंध एआईएस-137 भाग-7 के अनुसार निम्नानुसार होंगे:

क = 1.1, यदि इंजन शक्ति 560 किलोवाट से कम हो; और

क = 6.0, यदि इंजन शक्ति 560 किलोवाट या उससे अधिक हो।

**सारणी 2क**  
**(टीआरईएमचरण-5)**

जहां लागू हो, वहां गैर-सड़क स्थिर चक्र (एनआरएससी) और गैर-सड़क संक्रमणीय चक्र (एनआरटीसी) परीक्षण चक्रों के लिए लागू उत्सर्जन सीमाएं

	से लागू	सीओ (1)	एचसी (1)(3)	एनओएक्स	बजे	पीएन	परीक्षण चक्र*
श्रेणी, किलोवाट		ग्राम/किलोवाटघंटा				#/किलोवाटघंटा	
पी < 8	01-10-2026	8.0	7.5 (+एनओएक्स)	0.4	--		एनआरएससी या एनआरटीसी (2)
8 ≤ पी < 19	01-10-2026	6.6	7.5 (+एनओएक्स)	0.4	--		
19 ≤ पी < 37	01-04-2032	5.0	4.7( एचसी+एनओएक्स)	0.015	1×10 <sup>12</sup>		एनआरएससी और एनआरटीसी
37 ≤ पी < 56	01-04-2032	5.0	4.7 (+एनओएक्स)	0.015	1×10 <sup>12</sup>		
56 ≤ पी < 130	01-10-2026	5.0	0.19	0.4	0.015	1×10 <sup>12</sup>	
130 ≤ पी < 560	01-10-2026	3.5	0.19	0.4	0.015	1×10 <sup>12</sup>	
पी ≥ 560	01-10-2026	3.5	0.19	3.5	0.045	-----	एनआरएससी

\*संपीडन प्रज्वलन (सीआई) इंजन से युक्त यान के मामले में, गैसीय और कणिकीय उत्सर्जन का मापन एनआरएससी तथा एनआरटीसी परीक्षण चक्रों के अंतर्गत किया जाएगा। जबकि सकारात्मक प्रज्वलन (पीआई) इंजन से युक्त यान के मामले में, गैसीय और कणिकीय उत्सर्जन का मापन एनआरटीसी परीक्षण चक्र के अंतर्गत, एआईएस-137 भाग 7 में वर्णित तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(1) यह उपबंध हाइड्रोजन ईंधन से संचालित इंजनों पर लागू नहीं होगा। उन इंजनों के मामले में, जहां एचसी+एनओएक्स सीमाएं निर्धारित हैं, हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजनों के लिए सीमा केवल एनओएक्स उत्सर्जन तक ही सीमित होगी।

(2) एनआरएससी केवल सीआई इंजनों पर लागू होगा और एनआरटीसी केवल पीआई इंजनों पर लागू होगा।

(3) पूर्णतः और आंशिक रूप से गैसीय ईंधन से संचालित इंजनों के लिए कुल हाइड्रोकार्बन (एचसी) सीमाओं के संबंध में विशिष्ट उपबंध एआईएस-137 भाग 7 के अनुसार होंगे:

क = 1.1 उन इंजनों के लिए जिनकी शक्ति < 560 किलोवाट है और क = 6.0 उन इंजनों के लिए जिनकी शक्ति ≥ 560 किलोवाट है।

**टिप्पणः—**

- (i) परीक्षण इंजन डाइनामोमीटर पर किया जाएगा।
- (ii) ग्रॉस पावर (फैन के बिना) के मापन की परीक्षण प्रक्रिया एआईएस:137 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी तथा समय-समय पर यथा संशोधित रहेगी।
- (iii) ग्रॉस पावर मापन हेतु, टाइप अनुमोदन तथा उत्पादन पुष्टि के लिए सहनशीलता नीचे सारणी 3 में दी गई अनुसार लागू होगी।

**सारणी 3**

इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित ईंधन इंजेक्शन प्रणाली से युक्त इंजनों के लिए टाइप अनुमोदन और उत्पादन पुष्टि हेतु पावर मापन सहनशीलता

इंजन का प्रकार	मूल्यांकित शक्ति [%]	पर अन्य माप बिंदु [%]	इंजन की गति के लिए सहनशीलता [%]
प्रकार अनुमोदन	±2	±4	±1.5
उत्पादन की अनुरूपता	±5	±10	±5

**सारणी 3क**

प्रकार अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता हेतु यांत्रिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली से सुसज्जित इंजनों के लिए शक्ति मापन सहनशीलता

इंजन का प्रकार	मूल्यांकित शक्ति		अन्य माप बिंदु	
	एकल सिलेंडर	अन्य इंजन	एकल सिलेंडर	अन्य इंजन
प्रकार अनुमोदन	±5	±5	±10	±5
उत्पादन की अनुरूपता	±10	-5/+8	लागू नहीं	-5/+8

(iv) दृश्य और गैसीय प्रदूषकों तथा कणिकीय पदार्थ के उत्सर्जन के मापन की परीक्षण प्रक्रिया एआईएस:137 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और समय-समय पर यथासंशोधित रूप में होगी।

(v) पेट्रोल इंजेक्शन इंजनों को छोड़कर अन्य इंजनों द्वारा दृश्य प्रदूषक (धुआं) का उत्सर्जन, प्रकाश अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त धुआं घनत्व की उन सीमा-मानों से अधिक नहीं होगा, जो नियम 115 के उपनियम (9) के उपाबंध-1 में दिए गए हैं, जब इंजन को पूर्ण भार पर छह गतियों पर इंजन डाइनेमोमीटर पर एआईएस:137 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा समय-समय पर यथासंशोधित रूप में परीक्षण किया जाए।

(vi) (क) इंजन निर्माता नीचे दी गई सारणी 4 में निर्दिष्ट अनुसार इंजन परीक्षण का विकल्प चुन सकता है, जिसका उपयोग एआईएस:137 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और समय-समय पर यथासंशोधित रूप में अवमूल्यन गुणांकके मूल्यांकन हेतु किया जाएगा—

## सारणी 4

श्रेणी (पावरबैंड)	उत्सर्जन स्थायित्व अवधि (घंटे)
0 <पी< 19 (परिवर्तनीयगति)	3000
0 <पी<37 (स्थिरगति)	
19 ≤पी< 37 (परिवर्तनीयगति)	5000
37 ≤पी> 560 सभी	8000

(ख) सेवा संचय अनुसूची का उपयोग करके अवमूल्यन गुणांक निर्धारित करने के विकल्प के रूप में, इंजन निर्माता (पावर टिलर को छोड़कर) एआईएस:137 में निर्धारित और समय-समय पर यथा संशोधित गुणात्मक अवमूल्यन गुणांकों का उपयोग करने का चयन कर सकते हैं।

पावर टिलर के लिए, इंजन निर्माता नीचे दी गई सारणी5 में निर्धारित गुणात्मक अवमूल्यन गुणांकों का उपयोग करने का चयन कर सकते हैं।

## सारणी 5

सीओ	एचसी	एनओएक्स	पीएम
1.1	1.05	1.05	1.1

(vii) उत्पादन की अनुरूपता की आवृत्ति और चयन प्रक्रिया, एआईएस: 137 में निर्धारित प्रक्रिया तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार होगी।

(viii) कृषि ट्रैक्टर और संयुक्त हार्वेस्टर हेतु उत्पादन की अनुरूपता के लिए—

(क) जिनका वार्षिक उत्पादन या आयात (प्रति इंजन परिवार) 200 इकाइयों तक है, उनके लिए प्रति परिवार या मॉडल हेतु प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सीओपी किया जाएगा।

(ख) जिन कृषि ट्रैक्टरों और संयुक्त हार्वेस्टर उपस्करों का वार्षिक उत्पादन या आयात (प्रति इंजन परिवार) 200 इकाइयों से अधिक है, उनके लिए प्रति परिवार या मॉडल हेतु प्रत्येक वर्ष एक बार सीओपी किया जाएगा।

(ix) उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) के लिए, नमूना आकार एक दिन के औसत उत्पादन के बराबर होगा, जो न्यूनतम 10 और अधिकतम 100 के अधीन होगा:

परन्तु यदि किसी इंजन परिवार का वार्षिक अवधि में उत्पादन 200 से कम है, तो नमूना आकार एक हो सकता है।

(x) सारणी1, 2क और 2 में उल्लिखित सीमाएं निम्नलिखित ईंधनों द्वारा संचालित इंजनों पर लागू होंगी: सीएनजी, बायो-सीएनजी, बायो-गैस, एलएनजी, एलपीजी, एचसीएनजी, डीज़ल (बी7), गैसोलीन के साथ इथेनॉल मिश्रण, इथेनॉल (ईडी 95), फ्लेक्स-फ्यूल, डीज़ल के साथ आइसो-ब्यूटेनॉल का मिश्रण, 100% तक बायो-डीज़ल मिश्रण, हाइड्रोजन और डीज़ल तथा सीएनजी, बायो-सीएनजी या एलएनजी में से किसी भी ईंधन के साथ ड्वेल-ईंधन इंजन।

टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता हेतु परीक्षण ईंधन, नीचे यथानिर्दिष्ट संदर्भ ईंधन अथवा वाणिज्यिक ईंधन होगा—

(क) प्राकृतिक गैस या बायो-मीथेन मोनो-फ्यूल अथवा बाय-फ्यूल यानों में प्रयुक्त संदर्भ प्राकृतिक गैस ईंधन, उपाबंध 4-ठ (जी20, जी23 और जी25) के अनुसार होगा।

(ख) एलपीजीमोनो-फ्यूल अथवा बाय-फ्यूल यानों में प्रयुक्त संदर्भ एलपीजीईंधन, उपाबंध 4-एम (ईंधनकऔर ईंधन ख) के अनुसार होगा।

(ग) तथापि, सीएनजी / एलपीजी हेतु संदर्भ ईंधनों की अनुपलब्धता की स्थिति में, बीआईएस 15958:2012 के अनुसार उपलब्ध वाणिज्यिक सीएनजी तथा बीआईएस 14861:2000 के अनुसार एलपीजी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित हो, टाइप अनुमोदन और सीओपी के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किए जाएंगे।

(घ) संदर्भ इथेनॉल ईंधन (ईडी 95) उपाबंध 4-द में यथानिर्दिष्ट होगा।

(ङ) संदर्भ डीज़ल ईंधन (बी7) अथवा वाणिज्यिक डीज़ल ईंधन उपाबंध 4-नअथवा उपाबंध 4-वीमें यथानिर्दिष्ट होगा।

(च) संदर्भ बायोगैस (बायो-मीथेन) ईंधन आईएस 16087:2013, यथा संशोधित, के अनुसार होगा।

(छ) एलएनजी के मामले में, ईंधन उपाबंध 4-ठकमें यथा उपबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

(ज) 7% तक बायोडीज़ल मिश्रण वाले यानों/इंजनों का परीक्षण संदर्भ डीज़ल (बी7) या वाणिज्यिक ईंधन से किया जाएगा। 7% से अधिक बायोडीज़ल मिश्रण वाले यानों का परीक्षण संबंधित मिश्रणों के साथ किया जाएगा। मिश्रण में प्रयुक्त बायोडीज़ल आईएस 15607 के अनुसार होगा तथा मिश्रण हेतु प्रयुक्त डीज़ल उपाबंध 4-टीअथवा उपाबंध 4-फके अनुसार होगा।

(झ) संदर्भ हाइड्रोजन ईंधन उपाबंध 4-बमें यथानिर्दिष्ट होगा।

(ञ) एचसीएनजी ईंधन उपाबंध 4-यड (आईएस:17314:2019) के अनुसार होगा।

(xi) इस नियम में निर्दिष्ट ऐसे यान जिनके इंजनों में उत्सर्जन को कम करने के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर और/या इलेक्ट्रॉनिक ईजीआर और/या किसी अभिकर्मक के उपयोग पर निर्भरता होती है, यह सुनिश्चित करेंगे कि एनओएक्स नियंत्रण उपायों का सही संचालन एआईएस:137 में निर्धारित प्रक्रिया तथा समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसार किया जाए;

(xii) एससीआर से सुसज्जित इंजनों के लिए एनआरटीसी और एनआरएससी के दौरान अमोनिया का उत्सर्जन 56 किलोवाट से कम या उसके बराबर पावर श्रेणी के लिए 25 पीपीएम के औसत मान से अधिक नहीं होगा और 56 किलोवाट से अधिक पावर श्रेणी के लिए 10 पीपीएमके औसत मान से अधिक नहीं होगा;

(xiii) डीज़ल इंजन एनओएक्स न्यूनीकरण अभिकर्मक एयूएस:32 (जलीय यूरिया घोल) आईएसओ: 22241 के भाग 1 और भाग 2 अथवा आईएस 17042 के अनुरूप होगा;

(xiv) इस नियम के अधीन निर्दिष्ट वे यान जिनकी पावर श्रेणी 19 किलोवाटसे कम तथा 56 किलोवाटसे अधिक है और जिनका निर्माण 1 अक्टूबर 2026 के पश्चात हुआ है, उन पर चलित अवस्था में स्थापित आंतरिक दहन इंजनों से गैसीय प्रदूषक उत्सर्जन की निगरानी एआईएस:137में निर्धारित प्रक्रिया और समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसार की जाएगी;

19 किलोवाट से 56 किलोवाट तक की पावर श्रेणी वाले वे यान जिनका निर्माण 1 अप्रैल 2028 के पश्चात हुआ है, उन पर भी उपर्युक्तानुसार एआईएस:137में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चलित अवस्था में गैसीय प्रदूषक उत्सर्जन की निगरानी की जाएगी;

(xv) टीआरईएमस्तर-4 और टीआरईएम स्तर-5 इंजन या ऐसे इंजनों से सुसज्जित यान पर एआईएस:137 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एक अनुरूपता लेबल लगाया जाएगा, तथा समय-समय पर यथासंशोधित उपबंध लागू रहेंगे;

(xvi) इस नियम के अधीन निर्दिष्ट ऐसे यान जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित ईंधन इंजेक्शन प्रणाली से सुसज्जित हैं, उनके लिए नियंत्रण क्षेत्र के भीतर नमूना लिए गए उत्सर्जन एआईएस-137 में निर्धारित प्रक्रिया तथा समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसार सारणी 1, सारणी 2 तथा सारणी 2क में निर्दिष्ट उत्सर्जन सीमा मूल्यों के दो गुना से अधिक नहीं होंगे;

(xvii) समर्पित सीएनजी / बायो-सीएनजी / एलएनजी / एलपीजी और ड्वेल-ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी यानों तथा उनके किट घटकों, जिसमें उनकी स्थापना भी सम्मिलित है, के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश एआईएस 024, एआईएस 028 (आरईवी.1) तथा समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों के अनुसार होंगे, जब तक कि संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं किए जाते।

(xviii) हाइड्रोजन ईंधन वाले आईसी इंजनों/यानों के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश, किट घटक और उसकी स्थापना, समय-समय पर संशोधित एआईएस 195क के अनुसार होगी, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित नहीं किया जाता है;

परंतु उत्सर्जन टीआरईएम 3 कक, टीआरईएम चरण-4 या टीआरईएम चरण-5 के लागू होने की तारीख से पहले बने यानों का पंजीकरण, इस नियम के लागू होने की संबंधित तारीख के बाद नौ महीने तक किया जा सकेगा।”।

(iii) उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

(10) प्रत्येक निर्माण उपस्कर यान इस प्रकार निर्मित किया जाएगा कि वह निम्नलिखित झूटी चक्र पर परीक्षण किए जाने पर उनके द्वारा उत्सर्जित गैसीय प्रदूषकों के निम्नलिखित मानकों का अनुपालन करता है, अर्थात्:

(क) परिवर्ती-गति वाले इंजनों के लिए, 8-मोड परीक्षण चक्र या संबंधित रैम्पड मोडल चक्र और क्षणिक चक्र गैर-सड़क क्षणिक चक्र (एनआरटीसी) यदि लागू हो;

(ख) स्थिर गति वाले इंजनों के लिए, 5-मोड परीक्षण चक्र या संबंधित रैम्पड मोडल चक्र;

(ग) उत्सर्जन (ग्राम/किलोवाट घंटा) को नीचे दी गई सारणी 1 और सारणी 2 में उल्लिखित परीक्षण प्रयोज्यता के अनुसार गैर-सड़क स्थिर चक्र (एनआरएससी) और गैर-सड़क क्षणिक चक्र (एनआरटीसी) परीक्षण चक्र के लिए लागू उत्सर्जन सीमा पर मापा जाएगा और एनआरटीसी परीक्षण चक्र के लिए, कंपोजिट भारित उत्सर्जन की गणना कोल्ड स्टार्ट परिणामों को 10 प्रतिशत भारित करके की जाएगी और 90 प्रतिशत भारित कंपोजिट परिणाम उक्त सारणियों में दी गई सीमाओं को पूरा करेंगे:

### सारणी 1

(सीईवी चरण – 4)

गैर-सड़क स्थिर चक्र (एनआरएससी) और गैर-सड़क क्षणिक चक्र (एनआरटीसी) परीक्षण चक्र के लिए लागू उत्सर्जन सीमा

श्रेणी, किलोवाट	से लागू	CO <sup>(1)</sup>	HC <sup>(1)</sup>	NOx	पीएम <sup>(1)</sup>	परीक्षण चक्र*
		ग्राम /किलोवाट घंटा				
37≤P< 56	1 अक्टूबर 2021	5.0	4.7 (HC+ NOx)		0.025 <sup>(2)</sup>	एनआरएससी और एनआरटीसी
56≤P< 130		5.0	0.19	0.4	0.025	
130≤P< 560		3.5	0.19	0.4	0.025	

\* कम्प्रेसन इग्निशन (सीआई) इंजन वाले यानों के मामले में, गैसीय और विविक्त उत्सर्जन को एनआरएससी और एनआरटीसी परीक्षण चक्र पर मापा जाएगा। पॉजिटिव इग्निशन (पीआई) इंजन वाले यानों के मामले में, गैसीय और विविक्त उत्सर्जन को एनआरटीसी परीक्षण चक्र पर मापा जाएगा, जैसा कि एआईएस-137-भाग 7 में बताया गया है और समय-समय पर उसमें संशोधन किया गया है।

(1) हाइड्रोजन से चलने वाले इंजन पर लागू नहीं। जिन इंजनों के लिए HC+NOx की सीमाएँ तय की गई हैं, वहाँ सीमा केवल NOx उत्सर्जन पर लागू होगी।

(2) केवल सीआई इंजनों पर लागू।

## सारणी 2

### (सीईवी चरण – 5)

-यदि लागू हो तो गैर-सड़क स्थिर चक्र (एनआरएससी) और गैर-सड़क क्षणिक चक्र (एनआरटीसी) परीक्षण चक्र के लिए लागू उत्सर्जन सीमा

श्रेणी, किलोवाट	प्रभाव सहित लागू से	CO <sup>(1)</sup>	HC <sup>(1)(3)</sup>	NO <sub>x</sub>	PM <sup>(1)</sup>	PN	परीक्षण चक्र*
		ग्राम /किलोवाट घंटा	(HC+ NO <sub>x</sub> )			#किलोवाट घंटा	
पी < 8	1 जनवरी 2025	8.0	7.5		0.4	--	एनआरएससी और एनआरटीसी
8 ≤ P < 19		6.6	7.5		0.4	--	
19 ≤ P < 37		5.0	4.7		0.015	10 × 1 <sup>12</sup>	एनआरएससी और एनआरटीसी
37 ≤ P < 56		5.0	4.7		0.015	10 × 1 <sup>12</sup>	
56 ≤ P < 130		5.0	0.19	0.4	0.015	10 × 1 <sup>12</sup>	
130 ≤ P < 560		3.5	0.19	0.4	0.015	10 × 1 <sup>12</sup>	
P ≥ 560		3.5	0.19	3.5	0.045	-----	एनआरएससी

\*संपीडन इग्निशन (सीआई) इंजन से लैस यान के मामले में, गैसीय और कण उत्सर्जन को एनआरएससी और एनआरटीसी परीक्षण चक्र पर मापा जाएगा। पॉजिटिव इग्निशन (पीआई) इंजन से लैस यान के मामले में, गैसीय और विविक्त उत्सर्जन को एआईएस-137-भाग 7 में वर्णित एनआरटीसी परीक्षण चक्र पर मापा जाएगा और समय-समय पर संशोधित किया जाएगा।

(1) हाइड्रोजन से चलने वाले इंजनों के लिए लागू नहीं है। यदि इंजनों के लिए HC+NO<sub>x</sub> सीमा निर्दिष्ट की जाती है, तो हाइड्रोजन आईसी इंजनों के लिए, सीमा केवल NO<sub>x</sub> उत्सर्जन पर होगी।

(2) एनआरएससी सीआई इंजनों के लिए लागू है और एनआरटीसी केवल पीआई इंजनों के लिए लागू है

(3) एआईएस-137 भाग 7 के अनुसार पूर्ण और आंशिक रूप से गैसीय-ईंधन वाले इंजनों के लिए कुल हाइड्रोकार्बन (HC) सीमाओं पर विनिर्दिष्ट उपबंध:

ए= इंजन शक्ति <560 किलोवाट के लिए ए=1.1 और इंजन शक्ति>560 के लिए ए=6.0

टिप्पण:-

(i) इंजन डायनमोमीटर पर परीक्षण किया गया।

(ii) सकल शक्ति (पंखे के बिना) के मापन के लिए परीक्षण प्रक्रिया एआईएस: 137 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और समय-समय पर संशोधित की जाएगी।

(iii) सकल शक्ति माप के लिए सहनशीलता को नीचे दी गई सारणी 3 के अनुसार उत्पादन के प्रकार की स्वीकृति और अनुरूपता के लिए लागू किया जाएगा

### सारणी 3

इंजन का प्रकार	मूल्यांकित शक्ति [%]	अन्य माप बिंदु वक्र [%]	इंजन की गति के लिए सहनशीलता [%]
प्रकार अनुमोदन	2±	4±	1.5±
की अनुरूपता उत्पादन	5±	10±	5±

(iv) दृश्य और गैसीय प्रदूषक और कण पदार्थ के उत्सर्जन के मापन के लिए परीक्षण प्रक्रिया एआईएस: 137 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और समय-समय पर संशोधित की जाएगी।

(v) पी.आई. इंजनों के अतिरिक्त अन्य इंजनों के लिए दृश्यमान प्रदूषक (धुआं) का उत्सर्जन, धुआं घनत्व के सीमा मूल्यों से अधिक नहीं होना चाहिए, जब प्रकाश अवशोषण गुणांक के रूप में जैसा कि नियम 115 के उप-नियम (9) के उपाबंध-1 में दिया गया है व्यक्त किया जाता है, जैसा कि एआईएस137 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार छह गति पर पूर्ण भार पर इंजन डायनेमोमीटर पर परीक्षण किया जाता है और समय-समय पर संशोधित किया जाता है

(vi) (क) इंजन निर्माण एआईएस: 137 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और समय-समय पर संशोधित रूप में गिरावट कारकों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दी गई सारणी 4 में उल्लिखित इंजन परीक्षण का विकल्प चुन सकता है।

### सारणी 4

श्रेणी ( पावर बैंड )	उत्सर्जन स्थायित्व अवधि (घंटे)
0 < P < 19 (परिवर्तनीय गति) 0 < P < 37 ( स्थिर गति )	3000
19 ≤ P < 37 (परिवर्तनीय गति)	5000
37 ≤ P > 560 सभी	8000

(ख) क्षरण कारकों को निर्धारित करने के लिए सेवा संचय अनुसूची का उपयोग करने के विकल्प के रूप में, इंजन निर्माता नीचे दी गई सारणी 5 के अनुसार नियत गुणक क्षरण कारकों का उपयोग करना चुन सकते हैं:

### सारणी 5

परीक्षण चक्र	CO	HC	NOx	PM
एनआरएससी	1.3	1.3	1.15	1.05
एनआरटीसी	1.3	1.3	1.15	1.05

(vii) उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) की आवृत्ति और चयन की प्रक्रिया एआईएस: 137 में बताई गई प्रक्रिया और समय-समय पर उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार होगी।

(viii) उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) के लिए,-

(क) 200 एनओएस तक के वार्षिक उत्पादन या आयात वाले कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल (प्रति इंजन फैमिली) के लिए, यह प्रत्येक दो वर्ष में एक बार प्रति फैमिली या मॉडल होगा;

(ख) 200 एनओएस से अधिक के वार्षिक उत्पादन या आयात वाले कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल (प्रति इंजन फैमिली) के लिए, यह प्रत्येक वर्ष एक बार प्रति फैमिली या मॉडल होगा।

(ix) उत्पादन की अनुरूपता (सीओपी) के लिए, सैम्पलिंग का साइज़ एक दिन का औसत उत्पादन होगा, जिसमें कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 एनओएस शामिल होंगी:

परन्तु वार्षिक अवधि में 200 से कम इंजन फैमिली का उत्पादन होने पर सैम्पल साइज़ एक हो सकता है।

(x) सारणी 1 और सारणी 2 में बताई गई सीमाएँ इन ईंधनों से चलने वाले इंजनों पर लागू होंगी: सीएनजी, बायो-सीएनजी, बायो-गैस, एलएनजी, एलपीजी, HCएनजी, डीज़ल (बी7), गैसोलीन के साथ इथेनॉल का मिश्रण, इथेनॉल (ईडी 95), फ्लेक्स-फ्यूल, डीज़ल के साथ आइसो-ब्यूटेनॉल का मिश्रण, 100% तक बायो-डीज़ल मिश्रण, हाइड्रोजन और डीज़ल तथा सीएनजी, बायो-सीएनजी या एलएनजी में से किसी एक ईंधन से चलने वाले दोहरे ईंधन इंजन।

प्रकार अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता के लिए, परीक्षण ईंधन को नीचे निर्दिष्ट संदर्भ ईंधन या वाणिज्यिक ईंधन के रूप में माना जाएगा:

(क) संदर्भ प्राकृतिक गैस या बायो-मीथेन मोनो-फ्यूल या बायो-फ्यूल यानों में प्रयुक्त प्राकृतिक गैस ईंधन उपाबंध 4 (जी20, जी23 और जी25) के अनुसार होगा;

(ख) एलपीजी मोनो-फ्यूल या बाई-फ्यूल यानों में उपयोग किए जाने वाले एलपीजी ईंधन का संदर्भ उपाबंध 4-एम (ईंधन ए और ईंधन बी) के अनुसार होगा;

(ग) तथापि, सीएनजी/एलपीजी के लिए संदर्भ ईंधन की अनुपलब्धता की स्थिति में, बीआईएस 15958: 2012 के अनुसार वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध सीएनजी और बीआईएस 14861: 2000 के अनुसार एलपीजी, समय-समय पर संशोधित, का उपयोग प्रकार अनुमोदन और उत्पादन की अनुरूपता के उद्देश्य से किया जाएगा;

(घ) संदर्भ इथेनॉल ईंधन (ईडी95) उपाबंध 4-आर में विनिर्दिष्ट किया जाएगा

(ड.) संदर्भ डीजल ईंधन (बी7) या वाणिज्यिक डीजल ईंधन क्रमशः उपाबंध 4-5 में विनिर्दिष्ट किया जाएगा

(च) संदर्भ ईंधन बायोगैस (बायो-मीथेन) आईएस 16087:2013 के अनुसार होगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है;

(छ) एलएनजी के मामले में, ईंधन उपाबंध 4-एलए में दिए गए आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा;

(ज) 7% तक बायोडीजल मिश्रणों से ईंधन वाले यान/इंजन का परीक्षण संबंधित डीजल (बी7) या वाणिज्यिक ईंधन के साथ किया जाएगा। 7% से अधिक बायोडीजल मिश्रणों से ईंधन वाले यानों का परीक्षण संबंधित मिश्रणों के साथ किया जाएगा। समय-समय पर संशोधित आईएस 15607 के अनुसार मिश्रण में उपयोग किया जाने वाला बायोडीजल और मिश्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले डीजल को क्रमशः उपाबंध 4-न या उपाबंध 4-फ में निर्दिष्ट किया जाएगा;

(झ) संदर्भ हाइड्रोजन ईंधन उपाबंध 4-व में विनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ञ) HCएनजी ईंधन उपाबंध 4-यड में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। (आईएस: 17314: 2019)।

(xi) इस नियम में विनिर्दिष्ट यान इंजन के साथ फिट होते हैं, जो उत्सर्जन को कम करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर और/या इलेक्ट्रॉनिक ईजीआर और/या अभिकर्मक के उपयोग पर निर्भर करते हैं, NOx नियंत्रण उपायों का सही संचालन सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि एआईएस: 137 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(xii) एससीआर से लैस इंजनों के लिए एनआरटीसी और एनआरएससी पर अमोनिया का उत्सर्जन सीईवी चरण-4 के लिए 56 किलोवाट से कम या उसके बराबर के लिए 25 पीपीएम के औसत मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए और सीईवी चरण-4 के लिए 56 किलोवाट से अधिक इंजन पावर श्रेणी के लिए 10 पीपीएम से अधिक नहीं होना चाहिए। एससीआर युक्त इंजनों के लिए एनआरटीसी और एनआरएससी पर अमोनिया का उत्सर्जन सीईवी चरण 5 के लिए 10 पीपीएम के औसत मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए।

(xiii) डीजल इंजन NOx रिडक्शन एजेंट एयूएस: 32 (एक्वेअस यूरिया सॉल्यूशन) आईएसओ: 22241 या आईएस 17042 के भाग 1 और भाग 2 के अनुरूप होना चाहिए।

(xiv) तारीख 1 अक्टूबर 2026 के बाद निर्मित इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट यानों की निगरानी यानों पर स्थापित आंतरिक दहन इंजनों से गैसीय प्रदूषक उत्सर्जन के लिए की जाएगी, जैसा कि एआईएस: 137 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार और समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(xv) इंजन या इंजन से सज्जित यान पर एक अनुरूपता लेबल लगाया जाएगा जो एआईएस: 137 में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है और समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

(xvi) इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट यानों के लिए, एआईएस-137 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और समय-समय पर संशोधित नियंत्रण क्षेत्र के भीतर नमूना लिया गया उत्सर्जन, क्रमशः सारणी 1 और सारणी 2 में विनिर्दिष्ट उत्सर्जन के सीमा मूल्यों से दो गुना से अधिक नहीं होगा:

(xvii) समर्पित सीएनजी / बायो-सीएनजी / एलएनजी / एलपीजी और दोहरा ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी यानों, और उनके किट कंपोनेंट (इन्स्टॉलेशन सहित) के लिए टेस्ट प्रोसेस और सुरक्षा दिशानिर्देश, समय-समय पर संशोधित एआईएस 024, एआईएस 028 (आरईवी.1) के अनुसार होंगी, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन संबंधित बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाते।

(xviii) हाइड्रोजन से चलने वाले आईसी इंजन / यानों, और उनके किट कंपोनेंट (इन्स्टॉलेशन सहित) के लिए टेस्ट प्रोसेस और सुरक्षा दिशानिर्देश, समय-समय पर संशोधित एआईएस 195 के अनुसार होंगी, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित नहीं हो जाते।

(iii) उपाबंध 4-यघ के बाद, निम्नलिखित उपाबंध जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“

उपाबंध 4-यड.			
[नियम 115ए(9)और (10)]			
हाइड्रोजन समृद्ध संपीडित प्राकृतिक गैस (एचसीएनजी)- विनिर्देश			
क्र. सं. (1)	विशेषता (2)	मांग (3)	परीक्षा विधि (4)
i)	हाइड्रोजन (प्रतिशत आयतन)	1.0±18.0	आईएस 15130 (भाग 3)
ii)	मीथेन(प्रतिशत आयतन), न्यूनतम	72.0	
iii)	अन्य हाइड्रोकार्बन (प्रतिशत आयतन)		
	क) इथेन, अधिकतम	6.0	आईएस 15130 (भाग 3)
	ख) C3 और उच्च HC, अधिकतम	3.0	
	ग) C6 और उच्च HC, अधिकतम	0.5	
घ) कुल असंतृप्त HC, अधिकतम	0.5		
iv)	अशुद्धियाँ		
	जल सामग्री,mg /m <sup>3</sup> , अधिकतम	5.0	आईएस 15641 (भाग 2)
	कुल सल्फर <sup>1</sup> ),mg/m <sup>3</sup> , अधिकतम	2.0	एएसटीएम डी3246
	ऑक्सीजन, प्रतिशत आयतन, अधिकतम	0.5	आईएस 15130 (भाग 3)
	कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, प्रतिशत आयतन, अधिकतम	3.5	आईएस 15130 (भाग 3)
	कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रतिशत मोल, अधिकतम	0.1	आईएस 15130 (भाग 3)
कुल सल्फर में गंधक की सल्फर सामग्री शामिल है			

[फा. सं. आरटी-11028/22/2016-एमवीएल]

महमूद अहमद , अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 889(अ), तारीख 16 सितंबर, 2020 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 458(अ), तारीख 8 जून, 2026 के अधीन संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2026

**G.S.R. 542(E).**— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide number G.S.R 151 (E), dated the 27th February, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 28th February, 2026;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

**1. Short title and commencement.** — (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

**2.** In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), rule 115 A,

(i) for the marginal heading, the following shall be substituted, namely:-

“ 115 A. Emission of smoke and vapour from agricultural tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combined harvesters driven by internal combustion engines.”

(ii) for sub rule (9), the following shall be substituted, namely: –

“(9) Every agricultural tractor, power tiller and combined harvester shall be so manufactured that it complies with the following standards of gaseous pollutants emitted by them when tested on the following duty cycle, namely:-

- for variable-speed engines, the 8-mode test cycle or the corresponding ramped modal cycle and the transient cycle Non-Road Transient Cycle (NRTC) if applicable;
- for constant-speed engines, the 5-mode test cycle or the corresponding ramped modal cycle;
- emissions (g/kWh) shall be measured over applicable emission limit for Non-Road Steady Cycle (NRSC) and Non-Road Transient Cycle (NRTC) test cycle as per test applicability mentioned in Table 1, Table 2 and Table 2A given below and for NRTC test cycle, composite weighted emissions shall be computed by weighing the cold start results 10 per cent. and the hot start results 90 per cent. weighted composite results shall meet the limits given in said- tables

**Table 1**

(TREM Stage – IV)

Applicable emission limit for Non-Road Steady Cycle (NRSC) and Non-Road Transient Cycle (NRTC) test cycle

	Applicable with effect from	CO <sup>(1)</sup>	HC <sup>(1)</sup>	NOx	PM <sup>(1)</sup>	Test Cycle*
Category, kW		g/ kWh				
37 ≤ P < 56	<b>01-01-2023</b>	5.0	4.7 (HC+NOx)		0.025 <sup>(2)</sup>	NRSC and NRTC
56 ≤ P < 130		5.0	0.19	0.4	0.025	
130 ≤ P < 560		3.5	0.19	0.4	0.025	

\* In case of a vehicle equipped with a Compression ignition (CI) engine, the gaseous and particulate emissions shall be measured over the NRSC/NRTC test cycle. In case of a vehicle equipped with a

Positive Ignition (PI) engine, gaseous and particulate emissions shall be measured over the NRTC test cycle as described in AIS-137-Part 7 and as amended from time to time.

(1) Not applicable for engine fuelled with Hydrogen. In case of engines where HC+NOx limits are specified, the limit shall be only on NOx emissions.

(2) Applicable for CI engines only

**Table 2**

(TREM Stage –IIIAA/IV/ V)

Applicable emission limit for Non-Road Steady Cycle (NRSC) and Non-Road Transient Cycle (NRTC) test cycle if applicable.

	Applicable with effect from	TREM	CO <sup>(1)</sup>	HC <sup>(1)</sup> (4)	NOx	PM	PN	Test cycle*
Category, kW			g/ kWh				#/kWh	
P < 8	01-10-2026	TREM V	8.0	7.5 ( HC+NOx)		0.4	--	NRSC or NRTC <sup>(3)</sup>
8 ≤ P < 19	01-10-2026	TREM V	6.6	7.5 ( HC+NOx)		0.4	--	
19 ≤ P < 37	01-04-2010	TREM IIIA**	5.0	7.5 ( HC+NOx)		0.6	--	NRSC or NRTC <sup>(3)</sup>
19 ≤ P < 37	01-04-2028	TREM IIIAA	5.0	4.7( HC+NOx)		0.35 <sup>(2)</sup>	--	NRSC or NRTC <sup>(3)</sup>
37 ≤ P < 56	01-01-2023	TREM IV	5.0	4.7 ( HC+NOx)		0.025 <sup>(2)</sup>	--	NRSC and NRTC
56 ≤ P < 130	01-10-2026	TREM V	5.0	0.19	0.4	0.015	1×10 <sup>12</sup>	
130 ≤ P < 560	01-10-2026	TREM V	3.5	0.19	0.4	0.015	1×10 <sup>12</sup>	
P ≥ 560	01-10-2026	TREM V	3.5	0.19	3.5	0.045	-----	NRSC

\* In case of vehicle equipped with Compression ignition (CI) engine, the gaseous and particulate emission shall be measured over NRSC and NRTC test cycle. In case of vehicle equipped with Positive ignition (PI) engine, gaseous and particulate emission shall be measured over NRTC test cycle as described in AIS-137-Part 7 and as amended from time to time.

\*\* For PI engines NRTC test cycle and emission calculation shall be applicable as per AIS-137 Part 7. All other requirement for TREM-IIIA shall be applicable as per procedure laid down in TAP-115/116 Part XV Sub-Part A.

(1) Not applicable for engine fuelled with Hydrogen. In case of engines where HC+NOx limits are specified, for Hydrogen IC engines, the limit shall be only on NOx emissions.

(2) Applicable for CI engines only

(3) NRSC (ISO-8178 C1 mode) is applicable for CI engines and is NRTC applicable for PI engines only

(4) Specific provisions on total hydrocarbon (HC) limits for fully and partially gaseous-fuelled engines as per AIS-137 Part 7 :

A = 1.1 for engine power <560 kW and A= 6.0 for engine power > =560

**Table 2A**

(TREM Stage –V)

Applicable emission limit for Non-Road Steady Cycle (NRSC) and Non-Road Transient Cycle (NRTC) test cycle if applicable

	Applicable with effect from	CO <sup>(1)</sup>	HC <sup>(1)(3)</sup>	NOx	PM	PN	Test cycle*
Category, kW		g/ kWh				#/kWh	
P < 8	01-10-2026	8.0	7.5 ( HC+NOx)		0.4	--	NRSC or NRTC <sup>(2)</sup>

$8 \leq P < 19$	01-10-2026	6.6	7.5 ( HC+NO <sub>x</sub> )		0.4	--	
$19 \leq P < 37$	01-04-2032	5.0	4.7( HC+NO <sub>x</sub> )		0.015	$1 \times 10^{12}$	NRSC and NRTC
$37 \leq P < 56$	01-04-2032	5.0	4.7 ( HC+NO <sub>x</sub> )		0.015	$1 \times 10^{12}$	
$56 \leq P < 130$	01-10-2026	5.0	0.19	0.4	0.015	$1 \times 10^{12}$	
$130 \leq P < 560$	01-10-2026	3.5	0.19	0.4	0.015	$1 \times 10^{12}$	
$P \geq 560$	01-10-2026	3.5	0.19	3.5	0.045	-----	NRSC

\* In case of vehicle equipped with Compression ignition (CI) engine, the gaseous and particulate emission shall be measured over NRSC and NRTC test cycle. In case of vehicle equipped with Positive ignition (PI) engine, gaseous and particulate emission shall be measured over NRTC test cycle as described in AIS-137-Part 7 and as amended from time to time.

<sup>(1)</sup> Not applicable for engine fuelled with Hydrogen. In case of engines where HC+NO<sub>x</sub> limits are specified, for Hydrogen IC engines, the limit shall be only on NO<sub>x</sub> emissions.

<sup>(2)</sup> NRSC is applicable for CI engines and NRTC is applicable for PI engines only

<sup>(3)</sup> Specific provisions on total hydrocarbon (HC) limits for fully and partially gaseous-fuelled engines as per AIS-137 Part 7 :

A = 1.1 for engine power <560 kW and A= 6.0 for engine power > =560

Notes:-

(i) The test shall be done on engine dynamometer

(ii) The test procedure for measurement of gross power (without Fan) shall be as per procedure laid down in AIS: 137 and as amended from time to time.

(iii) For gross power measurement the tolerance shall be applied for type approval and conformity of production as per table 3 given below –

**Table 3**

Power measurement tolerance for engines equipped with electronically controlled fuel injection system for type approval and conformity of production

Engine Type	Rated power [%]	Other measurement points on the curve [%]	Tolerance for engine speed [%]
Type approval	±2	±4	±1.5
Conformity of production	±5	±10	±5

**Table 3A**

Power measurement tolerance for engines equipped with mechanical fuel injection system for type approval and conformity of production

Engine Type	Rated power		Other measurement points	
	Single cylinder	Other Engines	Single cylinder	Other Engines
Type approval	±5	±5	±10	±5
Conformity of production	±10	-5/+8	NA	-5/+8

(iv) Test procedure for measurement of emission of visible and gaseous pollutant and particulate matter shall be as per procedure laid down in AIS: 137 and as amended from time to time.

(v) The emission of visible pollutant (smoke) for engines other than P.I. engines shall not exceed the limit values of smoke density when expressed as light absorption coefficients as given in Annexure -I of sub-rule (9) of rule 115, when tested on engine dynamometer at full load at six speeds as per procedure laid down in AIS137 and as amended from time to time

(vi) (a) Engine manufacture may opt for an engine test as mentioned in table 4 given below for evaluating deterioration factors as per procedure laid down in AIS:137 and as amended from time to time-

**Table 4**

Category (Power Band)	Emission Durability period (hours)
0 < P < 19 (variable speed)	3000
0 < P < 37 (Constant speed)	
19 ≤ P < 37 (Variable speed)	5000
37 ≤ P > 560 all	8000

(b) As an alternative to use a service accumulation schedule to determine deterioration factors, engine manufacturers (except power tillers) may select to use the assigned multiplicative deterioration factors as laid down in AIS:137 and as amended from time to time.

For power tillers, engine manufacturers may select to use the assigned multiplicative deterioration factors as per table 5 given below

**Table 5**

CO	HC	NO <sub>x</sub>	PM
1.1	1.05	1.05	1.1

(vii) Conformity of Production (COP) frequency and selection procedure shall be as per procedure laid down in AIS: 137 and as amended from time to time.

(viii) For Conformity of Production (COP), -

- for agricultural tractor and combine harvester with annual production or import up to 200 nos (per engine family), it shall be once in two years per family or model.
- for agricultural tractor and combine harvester equipment with annual production or import exceeding 200 nos (per engine family), it shall be once in every year per family or model.

(ix) For Conformity of Production (COP), the sampling size shall be one day's average Production subject to a minimum of 10 and maximum of 100:

Provided that for engine family produced less than 200 in the yearly period sample size may be one.

(x) The limits as mentioned in Table 1 2A and 2 shall be applicable for engines fuelled by following fuels: CNG, Bio-CNG, Bio-Gas, LNG, LPG, HCNG, Diesel (B7), Blends of Ethanol with Gasoline, Ethanol (ED 95), Flex-Fuel, Blend of Iso-butanol with Diesel, Bio-diesel blends up to 100%, hydrogen and dual fuelled engines driven by Diesel and any fuel out of CNG, Bio-CNG or LNG.

For type approval and conformity of production, the test fuel shall be reference fuel or commercial fuel as specified below:

- Reference Natural Gas fuel used in Natural Gas or Bio-Methane mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-L (G20, G23 and G25).
- Reference LPG fuel used in LPG mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-M (Fuel A and Fuel B).
- However, in case of non-availability of reference fuels for CNG / LPG, the commercially available CNG as per BIS 15958: 2012 and LPG as per BIS 14861:2000, as amended from time to time, shall be used for the purpose of Type Approval and Conformity of Production.

- d. The Reference Ethanol fuel (ED95) shall be as specified in Annexure IV-R.
- e. The Reference Diesel fuel (B7) or Commercial Diesel fuel shall be as specified in Annexure IV–T or Annexure IV-V respectively.
- f. The reference fuel Biogas (Bio-methane) shall be as per IS 16087:2013, as amended time to time.
- g. In case of LNG, fuel shall comply with the requirements as provided in Annexure IV- LA
- h. The vehicle/ engine fuelled with biodiesel blends up to 7% shall be tested with reference diesel (B7) or commercial fuel. Vehicles fuelled with biodiesel blends above 7%, shall be tested with respective blends. Biodiesel used in blends shall be as per IS 15607 as amended from time to time and the diesel used for blends shall be as specified in Annexure IV–T or Annexure IV-V respectively.
- i. The reference Hydrogen Fuel shall be as specified in the Annexure IV-W.
- j. The HCNG fuel shall be as specified in Annexure IV- ZE (IS:17314: 2019).

(xi) The vehicles specified in this rule fitted with engines, which rely on the use of Catalytic converter and / or electronic EGR and/or a reagent in order to reduce emissions, shall ensure the correct operation of NO<sub>x</sub> control measures, as per procedure laid down in AIS:137 and as amended from time to time;

(xii) Emission of ammonia over the NRTC and NRSC for engines equipped with SCR shall not exceed a mean value of 25 ppm for engine power category less than or equal to 56 kW and 10 ppm for engine power category above 56 kW;

(xiii) The diesel engine NO<sub>x</sub> reduction agent AUS: 32 (Aqueous Urea Solution) shall conform to part 1 and part 2 of ISO: 22241 or IS 17042;

(xiv) The vehicles specified under this rule with power categories less than 19kW and above 56 kW and manufactured after the 1<sup>st</sup> October 2026 shall be monitored for gaseous pollutant emission from in-service internal combustion engines installed on vehicles, as per procedure laid down in AIS: 137 and as amended from time to time;

The vehicles specified under this rule with power categories 19 kW to 56 kW and manufactured after the 1<sup>st</sup> April 2028 shall be monitored for gaseous pollutant emission from in-service internal combustion engines installed on vehicles, as per procedure laid down in AIS: 137 and as amended from time to time;

(xv) The TREM Stage-IV and TREM Stage-V engine or vehicle fitted with engines shall be affixed with a conformance label meeting the requirements as specified in AIS: 137 and as amended from time to time;

(xvi) For the vehicles specified under this rule equipped with electronically controlled fuel injection system, the emission sampled within the control area as per procedure laid down in AIS-137 and as amended from time to time, shall not exceed more than two times the limit values of the emission specified in Table 1, Table 2 and Table 2A respectively;

(xvii) Test procedure and safety guidelines for dedicated CNG / Bio-CNG / LNG / LPG and dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG vehicles, kit component including installation thereof shall be as per AIS 024, AIS 028 (Rev.1) as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard (BIS) Act,2016 (11 of 2016);

(xviii) Test procedure and safety guidelines for Hydrogen fuelled IC engines / vehicles, kit component including installation thereof shall be as per AIS 195A, as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard (BIS) Act,2016 (11 of 2016);

Provided that the vehicles manufactured before the date of applicability of Emission TREM IIIAA, TREM Stage- IV or TREM Stage-V, respectively, shall be registered up to nine months after the respective date of implementation of this rule.”.

(iii) for sub rule (10), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

“(10) Every construction equipment vehicle shall be so manufactured that it complies with the following standards of gaseous pollutants emitted by them when tested on following duty cycle, namely :-

- a. for variable-speed engines, the 8-mode test cycle or the corresponding ramped modal cycle and the transient cycle Non-Road Transient Cycle (NRTC) if applicable;
- b. for constant-speed engines, the 5-mode test cycle or the corresponding ramped modal cycle;

- c. emissions (g/kWh) shall be measured over applicable emission limit for Non-Road Steady Cycle (NRSC) and Non-Road Transient Cycle (NRTC) test cycle as per test applicability mentioned in Table 1 and Table 2 given below and for NRTC test cycle, composite weighted emissions shall be computed by weighing the cold start results 10 per cent. and the hot start results 90 per cent. weighted composite results shall meet the limits given in said- tables

**Table 1**  
(CEV Stage – IV)

Applicable emission limit for Non-Road Steady Cycle (NRSC) and Non-Road Transient Cycle (NRTC) test cycle

	Applicable with effect from	CO <sup>(1)</sup>	HC <sup>(1)</sup>	NOx	PM <sup>(1)</sup>	Test Cycle*
Category, kW		g/ kWh				
37 ≤ P < 56	<b>1<sup>st</sup> October 2021</b>	5.0	4.7 (HC+NOx)		0.025 <sup>(2)</sup>	NRSC and NRTC
56 ≤ P < 130		5.0	0.19	0.4	0.025	
130 ≤ P < 560		3.5	0.19	0.4	0.025	

\* In case of vehicle equipped with Compression ignition (CI) engine, the gaseous and particulate emission shall be measured over NRSC and NRTC test cycle. In case of vehicle equipped with Positive ignition (PI) engine, gaseous and particulate emission shall be measured over NRTC test cycle as described in AIS-137-Part 7 and as amended from time to time.

<sup>(1)</sup>Not applicable for engine fuelled with Hydrogen. In case of engines where HC+NOx limits are specified, the limit shall be only on NOx emissions.

<sup>(2)</sup> Applicable for CI engines only

**Table 2**  
(CEV Stage –V)

Applicable emission limit for Non-Road Steady Cycle (NRSC) and Non-Road Transient Cycle (NRTC) test cycle if applicable

	Applicable with effect from	CO <sup>(1)</sup>	HC <sup>(1)</sup>	NOx	PM	PN	Test cycle*
Category, kW		g/ kWh				#/kWh	
P < 8	<b>1st January 2025</b>	8.0	7.5 ( HC+NOx)		0.4	--	NRSC or NRTC <sup>(2)</sup>
8 ≤ P < 19		6.6	7.5 ( HC+NOx)		0.4	--	
19 ≤ P < 37		5.0	4.7( HC+NOx)		0.015	1×10 <sup>12</sup>	NRSC and NRTC
37 ≤ P < 56		5.0	4.7 ( HC+NOx)		0.015	1×10 <sup>12</sup>	
56 ≤ P < 130		5.0	0.19	0.4	0.015	1×10 <sup>12</sup>	
130 ≤ P < 560		3.5	0.19	0.4	0.015	1×10 <sup>12</sup>	
P ≥ 560		3.5	0.19	3.5	0.045	-----	NRSC

\* In case of vehicle equipped with Compression ignition (CI) engine, the gaseous and particulate emission shall be measured over NRSC and NRTC test cycle. In case of vehicle equipped with Positive ignition (PI) engine, gaseous and particulate emission shall be measured over NRTC test cycle as described in AIS-137-Part 7 and as amended from time to time.

(1) Not applicable for engine fuelled with Hydrogen. In case of engines where HC+NO<sub>x</sub> limits are specified, for Hydrogen IC engines, the limit shall be only on NO<sub>x</sub> emissions.

(2) NRSC is applicable for CI engines and NRTC is applicable for PI engines only

(3) Specific provisions on total hydrocarbon (HC) limits for fully and partially gaseous-fuelled engines as per AIS-137 Part 7 :

A = 1.1 for engine power <560 kW and A= 6.0 for engine power ≥560

Notes:-

(i) The test shall be done on engine dynamometer

(ii) The test procedure for measurement of gross power (without Fan) shall be as per procedure laid down in AIS: 137 and as amended from time to time.

(iii) For gross power measurement the tolerance shall be applied for type approval and conformity of production as per table 3 given below

**Table 3**

Engine Type	Rated power [%]	Other measurement points on the curve [%]	Tolerance for engine speed [%]
Type approval	±2	±4	±1.5
Conformity of production	±5	±10	±5

(iv) Test procedure for measurement of emission of visible and gaseous pollutant and particulate matter shall be as per procedure laid down in AIS: 137 and as amended from time to time.

(v) The emission of visible pollutant (smoke) for engines other than P.I. engines shall not exceed the limit values of smoke density when expressed as light absorption coefficients as given in Annexure -I of sub-rule (9) of rule 115, when tested on engine dynamometer at full load at six speeds as per procedure laid down in AIS137 and as amended from time to time

(vi) (a) Engine manufacture may opt for an engine test as mentioned in table 4 given below for evaluating deterioration factors as per procedure laid down in AIS:137 and as amended from time to time-

**Table 4**

Category (Power Band)	Emission Durability period (hours)
0 < P < 19 (variable speed)	3000
0 < P < 37 (Constant speed)	
19 ≤ P < 37 (Variable speed)	5000
37 ≤ P < 560 all	8000

(b) As an alternative to use a service accumulation schedule to determine deterioration factors, engine manufacturers may select to use the assigned multiplicative deterioration factors as per table 5 given below:

**Table 5**

Test cycle	CO	HC	NO <sub>x</sub>	PM
NRSC	1.3	1.3	1.15	1.05
NRTC	1.3	1.3	1.15	1.05

(vii) Conformity of Production (COP) frequency and selection procedure shall be as per procedure laid down in AIS: 137 and as amended from time to time.

(viii) For Conformity of Production (COP), -

- a. for Construction Equipment Vehicle with annual production or import up to 200 nos (per engine family), it shall be once in two years per family or model.
- b. for Construction Equipment Vehicle with annual production or Import exceeding 200 nos (per engine family), it shall be once in every year per family or model.

(ix) For Conformity of Production (COP), the sampling size shall be one day's average Production subject to a minimum of 10 and maximum of 100:

Provided that for engine family produced less than 200 in the yearly period sample size may be one.

(x) The limits as mentioned in Table 1 and 2 shall be applicable for engines fuelled by following fuels: CNG, Bio-CNG, Bio-Gas, LNG, LPG, HCNG, Diesel (B7), Blends of Ethanol with Gasoline, Ethanol (ED 95), Flex-Fuel, Blend of Iso-butanol with Diesel, Bio-diesel blends up to 100%, hydrogen and dual fuelled engines driven by Diesel and any fuel out of CNG, Bio-CNG or LNG.

For type approval and conformity of production, the test fuel shall be reference fuel or commercial fuel as specified below

- a. Reference Natural Gas fuel used in Natural Gas or Bio-Methane mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-L (G20, G23 and G25).
- b. Reference LPG fuel used in LPG mono-fuel or bi-fuel vehicles shall be as per Annexure IV-M (Fuel A and Fuel B).
- c. However, in case of non-availability of reference fuels for CNG / LPG, the commercially available CNG as per BIS 15958: 2012 and LPG as per BIS 14861:2000, as amended from time to time, shall be used for the purpose of Type Approval and Conformity of Production.
- d. The Reference Ethanol fuel (ED95) shall be as specified in Annexure IV-R.
- e. The Reference Diesel fuel (B7) or Commercial Diesel fuel shall be as specified in Annexure IV-T or Annexure IV-V respectively.
- f. The reference fuel Biogas (Bio-methane) shall be as per IS 16087:2013, as amended time to time.
- g. In case of LNG, fuel shall comply with the requirements as provided in Annexure IV- LA
- h. The vehicle/ engine fuelled with biodiesel blends up to 7% shall be tested with reference diesel (B7) or commercial fuel. Vehicles fuelled with biodiesel blends above 7%, shall be tested with respective blends. Biodiesel used in blends shall be as per IS 15607 as amended from time to time and the diesel used for blends shall be as specified in Annexure IV-T or Annexure IV-V respectively.
- i. The reference Hydrogen Fuel shall be as specified in the Annexure IV-W.
- j. The HCNG fuel shall be as specified in Annexure IV- ZE (IS:17314: 2019).

(xi) The vehicles specified in this rule fitted with engines, which rely on the use of Catalytic converter and / or electronic EGR and/or reagent in order to reduce emissions, shall ensure the correct operation of NO<sub>x</sub> control measures, as per procedure laid down in AIS:137 and as amended from time to time.

(xii) Emission of ammonia over the NRTC and NRSC for engines equipped with SCR shall not exceed a mean value of 25 ppm for engine power category less than or equal to 56 kW for CEV Stage-IV and 10 ppm for engine power category above 56 kW for CEV Stage-IV.

Emission of ammonia over the NRTC and NRSC for engines equipped with SCR shall not exceed a mean value of 10 ppm for CEV Stage-V.

(xiii) The diesel engine NO<sub>x</sub> reduction agent AUS: 32 (Aqueous Urea Solution) shall conform to part 1 and part 2 of ISO: 22241 or IS 17042.

(xiv) The vehicles specified under this rule manufactured after the 1<sup>st</sup> October 2026 shall be monitored for gaseous pollutant emission from in-service internal combustion engines installed on vehicles, as per procedure laid down in AIS: 137 and as amended from time to time.

(xv) The engine or vehicle fitted with engines shall be affixed with a conformance label meeting the requirements as specified in AIS: 137 and as amended from time to time.

(xvi) For the vehicles specified under this rule, the emission sampled within the control area as per procedure laid down in AIS-137 and as amended from time to time, shall not exceed more than two times the limit values of the emission specified in Table 1, Table 2 and Table 2A respectively:

(xvii) Test procedure and safety guidelines for dedicated CNG / Bio-CNG / LNG / LPG and dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG vehicles, kit component including installation thereof shall be as per AIS 024, AIS 028 (Rev.1) as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard (BIS) Act,2016 (11 of 2016).

(xviii) Test procedure and safety guidelines for Hydrogen fuelled IC engines / vehicles, kit component including installation thereof shall be as per AIS 195A, as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standard (BIS) Act,2016 (11 of 2016)

Provided that the vehicles manufactured before the date of applicability of CEV Stage-IV and CEV Stage-V shall be registered up to eight months and six months respectively, after the respective date of implementation of this rule.”

(iii) After Annexure IV-ZD, the following Annexure shall be inserted, namely:-

<b>ANNEXURE IV-ZE</b>			
<b>[See rule 115 A (9) and (10)]</b>			
<b>Hydrogen Enriched Compressed Natural Gas (HCNG) - Specification</b>			
<b>Sr. No. (1)</b>	<b>Characteristic (2)</b>	<b>Requirement (3)</b>	<b>Test Method (4)</b>
i)	Hydrogen (percent volume)	18.0±1.0	IS 15130 (Part 3)
ii)	Methane (percent volume), Min	72.0	
iii)	Other Hydrocarbons (percent volume)		
	a) Ethane, Max	6.0	IS 15130 (Part 3)
	b) C3 and higher HC, Max	3.0	
	c) C6 and higher HC, Max	0.5	
	d) Total unsaturated HC, Max	0.5	
iv)	Impurities		
	Water content, mg/m <sup>3</sup> , Max	5.0	IS 15641 (Part 2)
	Total sulphur <sup>1)</sup> , mg/m <sup>3</sup> , Max	2.0	ASTM D3246
	Oxygen, percent volume, Max	0.5	IS 15130 (Part 3)
	Carbon dioxide and Nitrogen, percent volume, Max	3.5	IS 15130 (Part 3)
	Carbon monoxide, percent mole, Max	0.1	IS 15130 (Part 3)
Total sulphur includes the sulphur content of odorant			

[F. No. RT-11028/22/2016-MV]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 889(E), dated the 16th September, 2020 and lastly amended vide Notification number G.S.R. 458 (E) dated 8<sup>th</sup> June, 2026.